न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :– 90 / 2024
निर्णय दिनांक :– 27.01.2025
पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. विजयकुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता :– श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता वादी

वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:–27.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 114 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, ख०न० 9 रकबा 1.2771 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6312 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मदनपुरा पटवार हल्का केरिया भू०अभि०नि० क्षेत्र नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान में स्थित है। जिसका वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादगस्त आराजी को वादी के द्वारा विक्रेता मोहनलाल शर्मा पुत्र रमेशचन्द शर्मा निवासी मदाउ तहसील सांगानेर से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2015 को क्रय किया था, विक्रय पत्र में वादी के पिता का सही नाम राजकुमार दर्ज था, परन्तु विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2015 का राजस्व रिकार्ड में अमल करते समय वरवक्त नामान्तकरण संख्या 305 दिनांक 07.12.2015 में विजय कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन के स्थान पर विजय कुमार जैन पुत्र रामकुमार जैन दर्ज हो गया इसलियें न्यायहित में विजय कुमार जैन पुत्र रामकुमार जैन की जगह विजय कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन जाति जैन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वादी के पिता का नाम राजकुमार जैन है, जो विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2015 व वादी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, से पूर्णतया सिद्ध होता है, कि वादी के पिता का नाम रामकुमार नही होकर राजकुमार जैन ही है, इसलिये राजस्व

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

रिकार्ड में वादी का नाम विजय कुमार जैन पुत्र श्री रामकुमार जैन की जगह विजय कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम सही करवाने के लिये तहसीलदार फागी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार फागी ने दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने से साफ इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत् कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी का वाद कारण दिनांक 25.10.2024 को तहसीलदार फागी द्वारा वादी के पिता का नाम दुरूस्त करने से इंकार करने व सक्षम न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 1 को लेण्ड होल्डर होने से एवं दावा दुरस्ती इन्द्राज का होने से पक्षकार कायम किया गया है। पक्षकारान की विवादित आराजीयात् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान् न्यायालय को इस वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार फागी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रतिवादी सं. 01 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 वाके ग्राम मदनपुरा मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 114 में वादी के नाम हिस्सा 22/129 जाति जैन सा0 फागी खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विक्रय–पत्र दिनांक 29.01.2015 में वादी का नाम विजय कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन अंकित है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, आदि में नाम विजय कुमार जैन पुत्र राजकुमार जैन दर्ज है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक मे हम वादी का वाद मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 29.01.2015 के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

लगातार.....................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

विजयकुमार बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 90 / 2024
निर्णय दिनांक:– 27.01.2025

(4)

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी 114 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, ख०न० 9 रकबा 1.2771 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6312 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित वादी के पिता का नाम रामकुमार के स्थान पर राजकुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला
जयपुर

विजयकुमार बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 90 / 2024
निर्णय दिनांक:– 27.01.2025

उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला–जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. विजयकुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति जैन निवासी कस्बा फागी तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू राजस्थान

वादी

बनाम

1 तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज ::–
मु0न0:– 90 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री प्रेमचन्द शर्मा हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 114 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, ख०न० 9 रकबा 1.2771 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.6312 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मदनपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित वादी के पिता का नाम रामकुमार के स्थान पर राजकुमार दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज........X........मुबलिग........X........बाबत........X........खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....X........फीसदी........X........सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा........ फागी, जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर